

प्रमुख शिक्षक,
उप-सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 06 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त नियमक मुख्य अभियन्ता कु0क्ष0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये 06 कार्यों के लागत रुपये 928.04 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 928.04 लाख (रुपये नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित सार्वजनिक विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम 6 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 0.60 लाख (रु0 साठ हजार मात्र) की धनराशि की उक्त वित्तीय वर्ष 2008-09 में खर्च करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. जो मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है उन मार्गों को संबंधित विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्या:-4042/11(2)/08-24(बजट)/2008 दिनांक 11-12-08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें सिडमूल आफ स्ट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम बरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

7. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रनीलित दस्ता निशेधों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य करने से पूर्व स्थल का भू-माप निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ल। निरीक्षण के परचात स्थल आवश्यकतानुसार निदेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. यदि उक्त कार्यों में से कोई योजना अपने विभाग से या अन्य विभागीय बजट में प्रारम्भ किया जा चुका है या पूर्ण किया जा चुका है तब उस कार्य हेतु उक्त दी जा रही स्वीकृति निरस्त या उस सीमा तक संशोधित समझी जावेगी और स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण नहीं किया जायेगा।

22/3/09

- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2009 तक उपयोग निश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त व्ययों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
16. आगामी विस्तृत एवं अवगुप्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य को वित्तीय/वैयक्तिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी विस्तृत अवगुप्त की जायेगी।
17. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशारी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
18. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
19. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुसूच संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 राइकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य राइकों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
20. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1381/XXVII(2)/2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-06 कार्यों की सूची।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या:- 869 (1)/11(2)/09-45(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0। तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/व्योपाधिकारी अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, कु0क्ष0, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पत्रांक:- 370 /2011/5/09

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता कु0क्ष0 एवं आक्रमक कोषाधिकारी देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता कु0क्ष0 कोषाधिकारी देहरादून।
- 3- शासक प्रशासक देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
आदेशावली संख्या 1381/XXVII(2)/2009
वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आराणादेश संख्या- 869 111(2)/09-45(एम0एल0ए0)/08टी0सी0 टी0सी0। दिनांक 02 मार्च, 20
का संलग्नक।

(धनराशि रुपये लाख)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय व 2008-09 वर्ष की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट-विमानेश्वर-ईडा मोटर मार्ग के किमी० 18 में लोहे की एच टाईप रोड़ साईड रैलिंग एवं फिक्सिंग का कार्य (घातक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु।	00.33	25.24	25.24	0.10
2.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा-बडैत मोटर मार्ग किमी०-4 से धौलाङ्गूढ होते हुये कुन्स्यारी-तिपौला मोटर मार्ग का विस्तार।	03.50	122.50	122.50	0.10
3.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना-धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाङ्गूढ-तिपौला तक विस्तार।	02.00	70.00	70.00	0.10
4.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत असगोली-चमीनी-कुन्स्यारी मोटर मार्ग का धौलाङ्गूढ-तिपौला तक विस्तार।	02.00	70.00	70.00	0.10
5.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत छब्बीसा-बग्वालीपोखर मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई का कार्य।	01.20	42.00	42.00	0.10
6.	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला-ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान।	15.00	598.30	598.30	0.10
	योग-	24.03	928.04	928.04	0.60

(रुपये साठ हजार मात्र)

Photocopy attested.
[Signature]

[Signature]
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।